[1][प्ररूप 10झज

[नियम 21कञ का उपनियम (3) देखिए]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115कघ के अधीन रियायती कराधान के लिए पात्र किसी विनिर्दिष्ट निधि की आय का विवरण

क्र.सं.			
1.	विनिर्दिष्ट निधि का नाम		
2.	विनिर्दिष्ट निधि के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता		
3.	विधिक प्रास्थिति (कंपनी/न्यास/सीमित दायित्व भागीदारी/निगमित निकाय)		
4.	स्थायी लेखा संख्यांक		
5.	पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में		
6.	(*i*) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अनुसार रजिस्ट्रीकरण संख्या		तारीख/माह/वर्ष
	(*ii*) रजिस्ट्रीकरण की तारीखः		
7.	पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट निधि की कुल आय		(रुपए में)
अनिवासियों के मानी जा सकने विनिर्दिष्ट निधि की तथा धारा 115कघ के अधीन रियायती कराधान के लिए पात्र आय के ब्यौरे (रुपए में)			
क्रम संख्या	विनिर्दिष्ट निधि की आय/हानि	रकम	अनिवासी द्वारा धारित यूनिटों से मानी जा सकने वाली आय (जो भारत में अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं है)
8.	धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथाउपबंधित प्रतिभूति के अन्तरण से उद्भूत दीर्घ अवधि पूंजी लाभ आय और जो धारा 112क के अधीन @10% की दर से प्रभार्य है (ए 1)	उपाबंध 1 के भाग ए1 में स्तंभ (5) का योग	उपाबंध 1 के भाग ए1 में स्तंभ (9) का योग
9.	धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथाउपबंधित प्रतिभूति के अन्तरण के उद्भूत दीर्घ अवधि पूंजी लाभ आय और जो (धारा 112क से भिन्न) @10% की दर से प्रभार्य है (ए2)	उपाबंध 1 के भाग ए2 में स्तंभ (5) का योग	उपाबंध 1 के भाग ए2 में स्तंभ (9) का योग
10.	धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथाउपबंधित प्रतिभूति के अन्तरण से उद्भूत लघु अवधि पूंजी लाभ आय और जो धारा 111क के अधीन @15% की दर से प्रभार्य है (ए3)	उपाबंध 1 के भाग ए 3 में स्तंभ (5) का योग	उपाबंध 1 के भाग ए3 में स्तंभ (9) का योग
11.	धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथाउपबंधित प्रतिभूति के अन्तरण से उद्भूत लघु अवधि पूंजी लाभ आय और जो @30% की दर से प्रभार्य है (ए4)	उपाबंध 1 के भाग ए4 में स्तंभ (5) का योग	उपाबंध 1 के भाग ए4 में स्तंभ (9) का योग
12.	धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) में यथाउपबंधित प्रतिभूतियों से आय और जो @10% की दर से प्रभार्य है (एक्स 1)	उपाबंध 2 के भाग 11 में स्तंभ (5) का योग	उपाबंध 2 के भाग 11 में स्तंभ (9) का योग
13.	धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) में यथाउपबंधित प्रतिभूतियों से आय और जो @5% की दर से प्रभार्य है (एक्स 2)	उपाबंध 2 के भाग एक्स 2 में स्तंभ (5) का योग	उपाबंध 2 के भाग एक्स 2 में स्तंभ (9) का योग

घोषणा

मैं, ... (पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में) पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... घोषणा करता/करती हूं किः

(*i*) मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से जो कुछ ऊपर और उपाबंध (उपाबंधों) में कथन किया गया है, जिसके अंतर्गत ऐसे उपाबंध (उपाबंधों) के साथ लगे हुए दस्तावेज भी हैं, सही और पूर्ण हैं;

(*ii*) निधि को प्रवर्ग 3 वैकल्पिक विनिधान निधि के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है और इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन विनियमित किया जाता है;

(*iii*) निधि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित है;

(*iv*) प्रायोजक या प्रबंधक द्वारा धारित यूनिटों से भिन्न, विनिर्दिष्ट निधि की सभी यूनिटें अनिवासियों द्वारा धारित हैं।

मैं यह और घोषणा करता/करती हूं कि मैं मेरी ..... (पदनाम) की हैसियत के रूप में ऐसा कथन प्रस्तुत कर रहा/रही हूं और मैं यह घोषणा करने तथा यह कथन प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूं।

स्थानः

तारीखः

भवदीय,

हस्ताक्षर.....

नाम .....

पदनाम .....

टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न करें।
2. "प्रबंधन के अधीन आस्तियां" से किसी विशिष्ट तारीख को आस्तियों के मूल्य का अंत शेष या विनिर्दिष्ट निधि के विनिधान अभिप्रेत हैं;
3. "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र" का वही अर्थ होगा जो इसका विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005(2005 का 28) की धारा 2 के खंड (थ) मे हैं;
4. "अंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण" से अंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित प्राधिकरण अभिप्रेत है;
5. "स्थायी स्थापन" का वही अर्थ होगा जो इसका धारा 92च के खंड (*iii क*) में है;
6. "प्रतिभूतियों" का वही अर्थ होगा जो इनका धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (खख) में है;
7. "विनिर्दिष्ट निधि" का वही अर्थ होगा जो इसका धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (*i*) में है;
8. "यूनिट" का वही अर्थ होगा जो इसका धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (च) में है;
9. सभी रकमों का उल्लेख भारतीय रुपए में किया जाए।

उपाबंध 1

क्र.सं.	प्रतिभूति का नाम	अर्जन की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)	पूंजी लाभ (रुपए में)	प्रतिभूति के अर्जन की तारीख से ऐसी प्रतिभूति के अंतरण की तारीख तक अनिवासी यूनिट धारकों द्वारा धारित विनिर्दिष्ट निधि के 'प्रबंधन के अधीन आस्तियां' का योग (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं है)	प्रतिभूति के अर्जन की तारीख से ऐसी प्रतिभूति के अंतरण की तारीख तक विनिर्दिष्ट निधि के 'प्रबंधन के अधीन' के दैनिक कुल का योग	अनुपात	अनिवासी द्वारा धारित यूनिटों से मानी जा सकने वाली आय (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं है)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)/(7)	(9)=(5)*(8)
भाग ए1. धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथा उपबंधित प्रतिभूति के अन्तरण से उद्भूत दीर्घ अवधि पूंजी लाभ आय और जो धारा 112क के अधीन @10% की दर से प्रभार्य है								
1.								
योग								
भाग ए2. धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथा उपबंधित प्रतिभूति के अन्तरण से उद्भूत दीर्घ अवधि पूंजी लाभ आय और जो (धारा 112क से भिन्न) @10% की दर से प्रभार्य है								
2.								
योग								
भाग ए3. धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथाउपबंधित प्रतिभूति के अन्तरण से उद्भूत दीर्घ अवधि पूंजी लाभ आय और जो धारा 111क के अधीन @15% की दर से प्रभार्य है								
3.								
योग								

+प्रतिभूतियों की संख्या के आधार पर पंक्तियां जोडे।

उपाबंध 2

क्र.सं.	प्रतिभूति का नाम	आय का प्रकृति	आय की प्राप्ति की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)	आय (रुपए में)	आय की प्राप्ति की तारीख को अनिवासी यूनिट धारकों द्वारा धारित प्रबंधन के अधीन आस्तियां (जो अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं है)	आय की प्राप्ति की तारीख को प्रबंधन के अधीन कुल आस्ति	अनुपात	अनिवासी द्वारा धारित यूनिटों से मानी जा सकने वाली आय (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं है)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)/(7)	(9)=(5)*(8)
भाग एक्स 1. धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (*d*) में यथाउपबंधित प्रतिभूतियों से आय और जो @10% की दर से प्रभार्य है								
1.								
योग								
भाग एक्स 2. धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (*d*) में यथाउपबंधित प्रतिभूतियों से आय और जो @5% की दर से प्रभार्य है								
2.								
योग								

+आवश्यकता अनुसार पंक्तियां जोड़े

^ सुसंगत कोड का चयन करें

1. लाभांश

2. ब्याज

3. अन्य आय कृपया विनिर्दिष्ट करें **]**

---

1. आय-कर (बाइसवां संशोधन) नियम, 2021 द्वारा **9.8.2021** से अंतस्थापित।